राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांकः–एफ 5( )/एसीटीएडी/माडा/बजट/275(1) करौली/2019–20 दिनांकः– 17/9/2019
35777

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद,
करौली ।

विषयः– संविधान की धारा अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत सार्वजनिक विश्राम गृह निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति।

संदर्भः– माननीय विधायक टोडा भीम, जिला करौली का पत्रांक 346 दिनांक 04.06.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय विधायक टोडा भीम, जिला करौली का पत्रांक 346 दिनांक 04.06.2019 पर माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर से प्राप्त अनुमोदन पश्चात् निम्नाकिंत निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है एवं निम्नाकिंत तालिका के कोलम संख्या 6 अनुसार कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त की जाती है।

(राशि लाखो में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	ग्रा.पं.	पं.स.	राशि	कार्यकारी एजेन्सी
1	2	3	4	5	6
1.	सार्वजनिक विश्राम गृह निर्माण	भोपर	टोडाभीम	5.00	पंचायत समिति

कृपया कार्यकारी एजेन्सी से निम्नांकित शर्तो के अधीन तकनीकी रिपोर्ट मय ड्राईग, विस्तृत एस्टीमेट व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर भिजवाने का श्रम करावे–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कब्जा प्राप्त कर प्रारम्भ कराया जावें। प्रस्तावित सामुदायिक भवन से अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित हो।
3. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें। **आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जावें।**
5. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

7. कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्त्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
8. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जावें।
9. सार्वजनिक विश्राम गृह निर्माण कार्य में तकनीकी स्वीकृति के साथ पट्टा की प्रति संलग्न करें। निर्माण पश्चात सामुदायिक भवन का संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही राशि हस्तान्तरित की जावें।
10. सार्वजनिक विश्राम गृह निर्माण कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कब्जा प्राप्त कर प्रारंभ कराया जावे। प्रस्तावित सार्वजनिक विश्राम गृह से अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित हो।

भवदीय,

(विकास सीताारामजी भाले)
आयुक्त

क्रमांकः–एफ 5( )/एसीटीएडी/माडा/बजट/275(1)/करौली/2019–20 35777-85 दिनांकः– 17/9/2019

प्रतिलिपी :–सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ट सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, करौली।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.) करौली।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति टोडाभीम, जिला करौली।
6. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।
9. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)